प्रदर्श–''स''

कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग अम्बिकापुर को **अम्बिकापुर–रामानुजगंज रा0रा0मार्ग कमांक 343 चौडीकरण/उन्नयनीकरण** कार्य हेतु **ग्राम मेन्ड्राखुर्द/किशुननगर/रजपुरीखुर्द** जिला–सरगुजा वनमण्डल सरगुजा के **मेन्ड्राखुर्द/किशुननगर/रजपुरीखुर्द** गांव के वन भूमि व्यपवर्तन हेतु राजस्व भूमि खसरा कमांक 736/1, 615, 616, 781/1, 431/1, 16 रकबा 1.790 हे0 वन भूमि के प्रकरण में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 का पालन प्रतिवेदन।

1. प्रमाणित किया जाता है कि अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 में नियत सम्पूर्ण प्रक्रिया का पालन कर अधिकारों को स्थापित किया गया है तथा राजस्व वनभूमि 1.790 हे. जो इस कार्य हेतु व्यपवर्तित की जानी है, तथा ग्राम **मेन्ड्राखुर्द/किशुननगर/रजपुरीखुर्द** तहसील–अम्बिकापुर में स्थित है में तदनुसार यह कार्यवाही पूर्ण की गयी है।

1.1 **मेन्ड्राखुर्द** ग्राम सभा की बैठक एवं उसमें पारित प्रस्ताव दिनांक 8–01–2022 (प्रदर्श–''अ'') तथा वन तथा राजस्व विभाग का संयुक्त जांच प्रतिवेदन (प्रदर्श–''ब'') पर दर्शित है।

1.2 **किशुननगर** ग्राम सभा की बैठक एवं उसमें पारित प्रस्ताव दिनांक 18–01–2022 (प्रदर्श–''अ'') तथा वन तथा राजस्व विभाग का संयुक्त जांच प्रतिवेदन (प्रदर्श–''ब'') पर दर्शित है।

1.3 **रजपुरीखुर्द** ग्राम सभा की बैठक एवं उसमें पारित प्रस्ताव दिनांक 28–01–2022 (प्रदर्श–''अ'') तथा वन तथा राजस्व विभाग का संयुक्त जांच प्रतिवेदन (प्रदर्श–''ब'') पर दर्शित है।

2. प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रकरण का प्रस्ताव (1) **मेन्ड्राखुर्द** ग्राम के **श्री बुंदेलाराम** की अध्यक्षता में हुई ग्राम सभा की बैठक दिनांक 08–01–2022 में रखा गया था (कई गांव होने पर प्रत्येक का विवरण दे दिनांक सहित) (2) किशुननगर ग्राम के श्री श्री आशा की अध्यक्षता में दिनांक 28–12–2021 (3) रजपुरीखुर्द ग्राम के श्री दुधनाथ सिंह की अध्यक्षता एवं इसमे 50 प्रतिशत ग्राम सभा के तथा ग्राम वन समिति के सदस्य उपस्थित थे, जिनकों परियोजना के कियान्यन एवं प्रकरण के पूर्ण विवरण तथा प्रभाव से अवगत करा कर विस्तार से समझाईश हिन्दी एवं स्थानीय भाषा में दी गयी । यह पाया गया कि इस क्षेत्र में उपरोक्त अधिनियम के तहत वन अधिकार की मान्यता पत्र की पात्रता रखने वाले व्यक्ति नही है।

अथवा

प्रस्तावित वन क्षेत्र में प्रदत्त वन अधिकार मान्यता पत्र धारकों की संख्या ग्रामवार निम्नानुसार है:–

क्र0	ग्राम का नाम	वन अधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम	रकबा (हे0मे0)
1	मेन्ड्राखुर्द	शून्य	शून्य
2	किशुननगर	शून्य	शून्य
3	रजपुरीखुर्द	शून्य	शून्य

3. यह प्रमाणित किया जाता है कि जो भी चर्चा एवं निर्णय लिए गए उसमें ग्राम सभा के न्यूनतम 50 प्रतिशत सदस्यों की उपस्थिति का कोरम पूर्ण था।

4. यह प्रमाणित किया जाता है कि संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं ग्राम सभा के ठहराव प्रस्ताव दिनांक अनुसार ऐसे विलुप्तप्राय जनजाति समूह (पी.टी.जी) के सदस्य व्यपवर्तन हेतु प्रश्नाधीन वन भूमि पर निवासरत नही है, जिनका वन अधिकार ''अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3(1) (e) अन्तर्गत विशेष रूप से संरक्षित रखना है।

कमश 2.........

कलेक्टर
सरगुजा (छ.ग.)

5. संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं ग्राम सभा के दिनांक 8–1–2022, 18–1–2022, 28–1–2022 के संकल्पों के आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है कि व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित वन भूमि पर अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3 (2) अन्तर्गत शासन द्वारा संचालित कोई सुविधा विद्यमान नही है।

7. वनभूमि व्यपर्वतन प्रस्ताव हेतु उपर्युक्त **1.770** हे. राजस्व वन भूमि तथा संरक्षित वन भूमि रकबा 2.442 हे0 के लिए अनापत्ति प्रदान की जाती है।

तहसील–अम्बिकापुर

क0	ग्राम का नाम	प0ह0न0	खसरा नंबर	कुल रकबा	प्रस्तावित रकबा
1	मेन्ड्राखुर्द	02	736/1	7.459	1.366
			615	0.364	0.030
			616	0.384	0.141
			781/1	7.622	0.030
योग			**4**	**15.829**	**1.567**
	मेन्ड्राखुर्द	02	PF2535	37.428	2.442
योग			**01**	**37.428**	**2.442**
2	किशुननगर	02	431/1	6.070	0.208
योग			**1**	**6.070**	**0.208**
3	रजपुरीखुर्द	05	16	0.026	0.015
योग			**01**	**0.026**	**0.015**
महायोग **सरंक्षित वन भूमि**			**01**	**37.428**	**2.442**
महायोग **राजस्व वन भूमि**			**06**	**59.353**	**1.790**

संलग्नः– उपरोक्तानुसार
जावक क0 1382 **/अ0भू0अ0/2022 अम्बिकापुर**
दिनांक - 03/02/2022

(संजीव कुमार झा)
कलेक्टर एवं
अध्यक्ष–जिला वन अधिकार समिति
जिला–सरगुजा

कार्यालय कलेक्टर (भू–अभिलेख शाखा) सरगुजा छत्तीसगढ़

क्रमांक 1383 /अ0भू0अ0/2022 अम्बिकापुर, दिनांक 23-02-2022

प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 343 अम्बिकापुर–रामानुजगंज के 2 लेन/4 लेन मय पेव्हड, शोल्डर चौडीकरण एवं उन्नयन कार्य के अन्तर्गत ग्राम मेन्ड्राखुर्द, किशुननगर, एवं रजपुरीखुर्द के प्रस्तावित रकबा 4.232 के वन भूमि व्यपवर्तन प्रस्ताव हेतु 10 कि0मी0 के परिधि में ऐतिहासिक स्थल न होने का प्रमाण पत्र के संबंध में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अम्बिकापुर के द्वारा कार्यालयीन पत्र क्रमांक 338/मु0लि0/2022 अम्बिकापुर, दिनांक 27 जनवरी 2022 के द्वारा प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग 343 अम्बिकापुर–रामानुजगंज अन्तर्गत प्रस्तावित रकबा अन्तर्गत ऐतिहासिक/पुरातात्विक स्थल स्थित नही है।

यह प्रमाण पत्र कार्यालय कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग अम्बिकापुर के द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर जारी किया गया ।

कलेक्टर
सरगुजा (अम्बिकापुर)

दिनांक 03 -2-2022
स्थानः– अम्बिकापुर